बिहार विधि – भाषा अधिनियम, 1955

(बिहार अधिनियम 23, 1955)

इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 8 नवम्बर, 1955 को प्राप्त हुई और यह अनुमति पहली बार तारीख 25 नवम्बर, 1955 के बिहार गजट के असाधारण अंत में प्रकाशित हुई।

बिहार राज्य में विधि–भाषा विहित करने के लिये अधिनियम

भारत–गणराज्य के छठे वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम बिहार विधि–भाषा अधिनियम (बिहार लैंग्वेज ऑफ लॉज ऐक्ट), 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. विधेयकों आदि में प्रयुक्त होनेवाली भाषा :–

(क) राज्य विधान–मंडल के किसी सदन में पुरःस्थापित किये जानेवाले सभी विधेयकों अथवा उनपर प्रस्तावित किये जानेवाले संशोधनों;

(ख) राज्य विधान–मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों;

(ग) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित सभी अध्यादेशों; और

(घ) संविधान के अधीन अथवा संविधान के प्रारम्भ के पहले या बाद बनी किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप–विधियों में;

प्रयुक्त होनेवाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगीः

परन्तु खंड (क) के प्रारम्भ के पहले पुरःस्थापित विधेयक राज्य विधान–मंडल द्वारा अंग्रेजी भाषा में भी अधिनियम के रूप में पारित किये जा सकेंगे।

————————